

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

हर्दि संदर्भ संस्करण — 2026 तक के महत्वपूर्ण संशोधनों सहित

अधिनियम संख्या 14, 1957

मूल अधिनियम: 4 जून 1957 | प्रभावी: 21 जनवरी 1958

यह भारत के कॉपीराइट कानून को हर्दि में सरल और व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए तैयार किया गया संदर्भ संस्करण है। इसमें 2026 तक उपलब्ध समेकित अधिनियम और प्रमुख नवीन संशोधनों का सार शामिल है।

महत्वपूर्ण कानूनी सूचना: यह आधिकारिक हर्दि की प्रतिनिधि है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। न्यायालय, पंजीकरण, लाइसेंस, नोटिस या विवाद के लिए / पर प्रकाशित आधिकारिक पाठ और राजपत्र अधिसूचनाओं को प्राथमिकता दें।

तैयार करने की तारीख: 27 अगस्त 2026

1. अधिनियम का उद्देश्य और दायरा

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों, सनिमैटोग्राफ फिल्मों तथा साउंड रिकॉर्डिंग जैसी मूल रचनात्मक कृतियों में अधिकारों की रक्षा करता है। यह पूरे भारत में लागू होता है।

कॉपीराइट सामान्यतः अधिकार-धारक को प्रतिलिपिबिना, प्रकाशित करने, जनता तक संप्रेषण करने, प्रदर्शन, अनुवाद और रूपांतरण जैसे कार्यों पर नियंत्रण देता है। कानून शिक्षा, शोध, आलोचना/समीक्षा, वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग और अन्य निर्धारित परिस्थितियों में अपवाद भी प्रदान करता है।

2. 2026 तक के प्रमुख संशोधन

संशोधन	मुख्य प्रभाव
1983-1999	अधिकार, प्रवर्तन, अवधि, लाइसेंस और उद्योग संबंधी विभिन्न संशोधन।
2012	डिजिटल युग का बड़ा संशोधन: तकनीकी सुरक्षा उपाय, लेखक/संगीतकार रॉयल्टी, और द्रव्यांग व्यक्तियों की पहुँच सहित कई परिवर्तन।
, 2017	/ व्यवस्था से जुड़े संस्थागत परिवर्तन।
, 2023	धारा 68 को हटाया गया; से संबंधित यह परिवर्तन 1 अगस्त 2024 से प्रभावी हुआ।
, 2026	धारा 67 को हटाया गया; से संबंधित यह परिवर्तन 15 जून 2026 से प्रभावी हुआ।

अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट

धारा 40-43: विदेशी कृतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा।

पंजीकरण

धारा 44-50: , और संबंधी व्यवस्था। पंजीकरण उपयोगी साक्ष्य हो सकता है, पर अधिकार का अस्तित्व केवल पर निर्भर नहीं होता।

उल्लंघन और अपवाद

धारा 51: कब कॉपीराइट माना जाता है।

धारा 52: ऐसे कार्य जो नहीं माने जाते— , / , / , शिक्षा और अन्य निर्धारित अपवाद।

धारा 53: के के विरुद्ध कार्रवाई।

नागरिक उपचार

धारा 55: , , आदि।

धारा 57: लेखक के / — का दावा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाली वक्तृता के विरुद्ध अधिकार।

धारा 58-62: , और संबंधित उपचार।

अपराध और दंड

धारा 63: जानबूझकर या सहायता के लिए आपराधिक दंड।

धारा 63: दोबारा अपराध पर बढ़ी हुई सजा।

धारा 63: की का जानबूझकर उपयोग।

धारा 64: निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस द्वारा की।

धारा 65: को गैरकानूनी तरीके से करना।

धारा 65: हटाना/बदलना।

धारा 67: 2026 द्वारा ; 15 जून 2026 से प्रभावी।

धारा 68: 2023 द्वारा ; 1 अगस्त 2024 से प्रभावी।

4. वेबसाइट, , फ़िल्म, संगीत और सॉफ़्टवेयर के लिए ध्यान देने योग्य बातें

इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री स्वतः -- नहीं हो जाती।

फ़िल्म या गीत को , , -, या जनता तक संप्रेषित करने से पहले आवश्यक अधिकार/लाइसेंस जाँचें।

केवल देने से अपने-आप वैध नहीं हो जाता।

और साहित्यिक कृतिके रूप में संरक्षित हो सकते हैं; भी महत्वपूर्ण है।

एक सीमिति कानूनी अपवाद है और प्रत्येक उपयोग तथ्य-वशिष्ट हो सकता है।

5. पंजीकरण

भारत में कॉपीराइट सुरक्षा के लिए सामान्यतः अधिकार पैदा होने की अनिवार्य पूर्व-शर्त नहीं है। फिर भी स्वामित्व और तारीख के प्रमाण के रूप में उपयोगी हो सकता है। आवेदन और वर्तमान प्रक्रिया के लिए / के नियम देखें।

6. 2026 का नवीन महत्वपूर्ण परिवर्तन

(), 2026 (8 2026) ने , 1957 की धारा 67 को किया। से संबंधित यह परिवर्तन 15 जून 2026 से प्रभावी हुआ। इससे पहले , 2023 के तहत धारा 68 को किया गया था, जो 1 अगस्त 2024 से प्रभावी हुआ।

7. आधिकारिक स्रोत

: , 1957 का वर्तमान केंद्रीय कानून।

/ : , , और संबंधी आधिकारिक जानकारी।

: संशोधन अधिनियम और का आधिकारिक स्रोत।

कानूनी अस्वीकरण: यह हदी संदर्भ/व्याख्यात्मक संस्करण है। किसी कानूनी कार्यवाही में आधिकारिक और का उपयोग करें।